न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

नं. मु. :– 40 / 2024 निर्णय-दिनांक :– 30-12-24

1. हसन अली पुत्र मोहम्मद उस्मान उम्र 55 वर्ष जाति सिलावट निवासी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

..... प्रार्थी ...

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू राजस्थान

... अप्रार्थी .....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 संपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय

उपस्थित :–

1. अरविन्द चौधरी एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 01

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी का रोही ग्राम हरिनगर तहसील बीदासर में खेत खाता नम्बर नया 122, पुराना 117, खसरा संख्या 1021 तादादी 5.7035 हेक्टेयर में 1/14 हिस्सा मुझ प्रार्थी मोहम्मद हसन पुत्र उस्मान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खातेदारी रिकॉर्ड में मेरा नाम मोहम्मद हसन पुत्र उस्मान अंकित है। जबकी प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम हसन अली पुत्र मोहम्मद उस्मान जाति सिलावट निवासी बीदासर है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक, में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम हसन अली पुत्र मोहम्मद उस्मान अंकित है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मोहम्मद हसन पुत्र उस्मान व अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम हसन अली पुत्र मोहम्मद उस्मान होने के कारण बैंक ऋण लेने व प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का अनुदान प्राप्त करने में प्रार्थी को परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकार्ड में अपना नाम मोहम्मद हसन पुत्र उस्मान की जगह अपना सही एवं शुद्ध नाम हसन अली पुत्र मोहम्मद उस्मान का संशोधन कराये।

लगातार 2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रार्थी का गलत चला आ रहा नाम राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही हरिनगर तहसील बीदासर में स्थित है। इसलिए प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमान्जी के न्यायालय को प्राप्त है आदि आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार बीदासर ने अपना जवाब पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परिक्षण में शपथ पत्र पेश कर न्यायालय सशपथ बयान देकर अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज खेत खसरा संख्या 1021 रोही ग्राम हरिनगर जो प्रदर्श पी–1 है, प्रार्थी का मूल आधार कार्ड जो प्रदर्श पी–2 है, आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श पी–2 ए है, प्रार्थी का मूल राशन कार्ड जो प्रदर्श पी–3 है, राशन कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श पी–3 ए है, प्रार्थी का मूल पेन कार्ड जो प्रदर्श पी–4 है, पेन कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श पी–4 ए है, प्रार्थी के बैंक ऑफ बड़ौदा की मूल पासबुक जो प्रदर्श पी–5 है, पास बुक की फोटो प्रति प्रदर्श पी–5 ए है इस प्रकार कुल पांच दस्तावेजात् न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाये।

हमनें पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती का है जिसमें अप्रार्थी तहसीलदार बीदासर ने अपने जवाब में प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम हसन अली पुत्र मोहम्मद उस्मान अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मोहम्मद हसन पुत्र उस्मान अंकित है जिसको प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्व किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर रोही ग्राम हरिनगर के खाता संख्या नया 122, पुराना 117, खसरा संख्या 1021 तादादी 5.7035 हेक्टेयर में 1/14 हिस्सा में प्रार्थी का नाम मोहम्मद हसन पुत्र उस्मान को संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का दस्तावेजी शुद्व एंव सही नाम हसन अली पुत्र मोहम्मद उस्मान दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 30/12/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर